

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला सीकर

क्रमांक / रीडर / 2024 / 321

दिनांक :- 02.09.2024

## आदेश

प्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश शर्मा ने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को सही करने हेतु "प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र पेश करने पर तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट में मजमें आम में पटवारी हल्का की रिपोर्ट, धस्तूत दस्तावेज आदि की अनुशाषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की 136 एल.आर.एक्ट के अनुसरण में ग्राम पलसाना प0ह0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 में खाता संख्या 389 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं	ग्राम / प0ह0	खाता संख्या / खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	बानूडा	389	पप्पूलाल पुत्र अर्जुनलाल वीरबलसिंह पुत्र अर्जुनलाल	पप्पूलाल उर्फ ओमप्रकाश पुत्र अर्जुनसिंह बीरबल सिंह उर्फ बीरबल पुत्र अर्जुनसिंह

(गोविन्द सिंह भींचर)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

दिनांक :- 02.09.2024

क्रमांक / रीडर / 2024 / 321

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार, दांतारामगढ़ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
- 2 प्रार्थी श्री.....को सुचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़